उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या– 313 /ix-1/2022-176(ix)/2007

देहरादून : दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या–21, वर्ष 2000) की धारा 90 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क) सपठित धारा 6 की उपधारा (1) एवं 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (संशोधन) नियमावली, 2022 है।**

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 में संशोधन 2. उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 2 के:–

(i) खण्ड (क) में "अतिरिक्त कर" शब्दों के स्थान पर "मोटर वाहन कर रख दिये जायेंगे।"

(ii) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जायेगा।

नियम 3 में संशोधन 3. **मूल नियमावली के** नियम 3 में नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

Scanned by CamScanner

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
3. मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण, परमिट, फिटनेस, चालन अनुज्ञप्ति, कण्डक्टर अनुज्ञप्ति, कर/अतिरिक्त कर एवं तत्सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित किसी अभिलेख के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तद्धीन बनाये गये नियमों तथा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 एवं तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन देय कर/अतिरिक्त कर, फीस के अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक रिकार्ड्स दाखिल, सृजित एवं जारी करने के लिए प्रति संव्यवहार रू. 20.00 यूजर चार्ज लिया जायेगा; परन्तु यह कि यदि निर्गत किया जाने वाला प्रपत्र स्मार्ट कार्ड 'चिप सहित' के रूप में होगा तो संव्यवहार यूजर चार्ज की धनराशि रू. 100.00 प्रति संव्यवहार होगी।	3. मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण, परमिट, फिटनेस, चालन अनुज्ञप्ति, कण्डक्टर अनुज्ञप्ति, कर एवं तत्सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित किसी अभिलेख के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तद्धीन बनाये गये नियमों तथा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 एवं तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन देय कर, फीस के अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक रिकार्ड्स दाखिल, सृजित एवं जारी करने के लिए **प्रति संव्यवहार रू. 50.00 यूजर चार्ज** लिया जायेगा ; **परन्तु यह कि यदि निर्गत किया जाने वाला प्रपत्र "स्मार्ट कार्ड" के रूप में होगा तो यूजर चार्ज की धनराशि एक सौ रूपया प्रति 'कार्ड' होगी।**

नियम 7 में संशोधन 4. मूल नियमावली के नियम 7 के उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
(1) प्रत्येक जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति वर्ष 15 दिसम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित मदों में इलेक्ट्रानिक रिकार्डस के अनुरक्षण/संवर्धन हेतु यूजर चार्ज के उपयोग के लिए प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजा जायेगा; अर्थात्– (एक) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण; (दो) जनरेटर के क्रय, मरम्मत एवं जनरेटर हेतु	(1) प्रत्येक जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति वर्ष 15 दिसम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित मदों में इलेक्ट्रानिक रिकार्डस के अनुरक्षण/संवर्धन हेतु यूजर चार्ज के उपयोग के लिए प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजा जायेगा; अर्थात्– (क) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण। (ख) जनरेटर का क्रय, **सुरक्षा**, मरम्मत एवं जनरेटर

Scanned by CamScanner

पी0ओ0एल0 की व्यवस्था;

(तीन) सर्वर रूम हेतु ए0सी0 का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था;

(चार) अन्य कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य/आइटम का क्रय, मरम्मत;

(पांच) कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी/कार्टिरेज/प्रिन्टर रिबन एवं फर्नीचर आदि का क्रय;

(छः) कार्यालय के प्रभावी एवं सुगम संचालन हेतु आवश्यक सूक्ष्म सिविल कार्य (पार्टीशन आदि), जिनमें सामान्य अनुरक्षण, मरम्मत सम्मिलित है;

(सात) कंजूमेबिल्स यथा–कार्टिरेज रिफलिंग, प्रिन्टर हैड, ड्रम किट आदि की व्यवस्था;

(आठ) विशेष परिस्थितियों में विभिन्न अभिलेख एवं प्रपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था;

(नौ) सम्बन्धित कार्यालय में यूजर चार्जेज को प्रदर्शित करते हुए डिस्प्ले बोर्डो, की व्यवस्था तथा प्रचार सामग्री; और

(दस) कम्प्यूटर एवं अभिलखों की सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्रों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(ग्यारह) कार्यालयों, प्रवर्तन दलों एवं जांच चौकियों हेतु कम्प्यूटर लैपटॉप, इन्टरनेट का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(बारह) विद्युत की निर्बाध आूपर्ति हेतु यूपीएस एवं बैट्री का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(तेरह) कम्प्यूटरों के माध्यम से कार्य संचालन हेतु सिस्टम सॉफ्टवेयर, विशिष्ट सॉफ्टवेयर, फायरबॉल, एन्टीवायरस आदि सॉफ्टवेयर का क्रय एवं अनुरक्षण;

(चौदह) कार्मिकों की उपस्थिति कम्प्यूटरीकृत रूप

हेतु पी0ओ0एल0 आदि की व्यवस्था।

(ग) **कम्प्यूटर रूम एवं यू0पी0एस रूम** हेतु ए0सी0 का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था;

(घ) **स्कैनर, फोटोकॉपियर, विद्युत उपकरण सम्बन्धी वायरिंग, इंटीग्रेटेड कम्यूनिकेशन डिवाइसेज तथा अन्य कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य/सामग्री का क्रय एवं अनुरक्षण की व्यवस्था;**

(ड.) कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी/कार्टिरेज/प्रिन्टर रिबन एवं फर्नीचर आदि का क्रय;

(च) कार्यालय के प्रभावी एवं सुगम संचालन हेतु आवश्यक सूक्ष्म सिविल कार्य (पार्टीशन आदि), जिनमें सामान्य अनुरक्षण, मरम्मत सम्मिलित है।

(छ) कंजूमेबिल्स यथा–कार्टिरेज रिफलिंग, प्रिन्टर हैडं, ड्रम किट आदि की व्यवस्था;

(ज) विशेष परिस्थितियों में विभिन्न अभिलेख एवं प्रपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था;

(झ) सम्बन्धित कार्यालय में यूजर चार्जेज कार्य प्रवाह आदि को प्रदर्शित करते डिस्प्ले बोर्डो, **इलैक्ट्रॉनिक टोकन मशीनों व इलैक्ट्रानिक टोकन** की व्यवस्था तथा आनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु प्रचार सामग्री;

(ञ) कम्प्यूटर एवं अभिलखों की सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्रों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(ट) कार्यालयों, प्रवर्तन दलों एवं जांच चौकियों हेतु कम्प्यूटर लैपटॉप, इन्टरनेट का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(ठ) विद्युत की निर्बाध आूपर्ति हेतु यूपीएस एवं बैट्री का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(ड) कम्प्यूटरों के माध्यम से कार्य, संचालन हेतु सिस्टम सॉफ्टवेयर, विशिष्ट सॉफ्टवेयर, फायरबॉल, एन्टीवायरस आदि सॉफ्टवेयर का क्रय एवं अनुरक्षण;

(ढ) कार्मिकों की उपस्थिति कम्प्यूटरीकृत रूप से दर्ज

Scanned by CamScanner

से दर्ज करने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक एटेन्डेंस सिस्टम का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(पन्द्रह) कार्यालय में आने वाले आवेदकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी हेतु एलसीडी/प्रोजेक्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(सोलह) कार्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यालयों एवं जांच चौकियों में सीसीटीवी सम्बन्धी उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(सत्रह) कम्प्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाने हेतु नेटवर्किंग एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(अठ्ठारह) कम्प्यूटर संचालन हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना;

(उन्नीस) सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य;

करने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक एटेन्डेंस सिस्टम का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(ण) कार्यालय में आने वाले आवेदकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी हेतु एलसीडी/प्रोजेक्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(त) कार्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यालयों एवं जांच चौकियों में सीसीटीवी सम्बन्धी उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(थ) कम्प्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाने हेतु नेटवर्किंग एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(द) कम्प्यूटर संचालन हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना; और

(ध) सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य;

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)

सचिव।

Scanned by CamScanner

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No.313..ix-1/2022-176(ix)/2007, Dated 14 October, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section- 1
No. 313/ix-1/2022-176(ix)/2007
Dated- 14 October, 2022

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (1) and (2) of section 90 read with sub-section (1) and (2) of section 6 of the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 2000) with a view to amend the Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) Rules, 2011 the Governor is pleased make the following rules-

The Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department (Amendment) Rules, 2022

Short title and commenceme nt — **1.** **(1)** These rules may be called the Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) (Amendment) Rules, 2022

(2) They shall come into force at once.

Amendment of Rule 2 — **2.** In the Principal rules in Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) Rules 2011, (hereinafter referred to as the Principal Rules) in rule 2:-

(i) in clause (a) for the words "Additional Tax" the word **"Motor Vehicles Tax"** shall be substituted;

(ii) **Clause (b) shall be omitted.**

Amendment of Rule 3 — **3.** In the Principal Rules for the existing rule 3 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely-

column 1	column 2
Existing rule	rule as hereby substituted

C:\Users\...\Documents\P. K. Verma\New Cabinate Note_19-07-2017\...

Scanned by CamScanner

In addition to the tax, additional tax and fees levied under the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made there under and Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 and the rules made there under for the Act and the records relating to the registration of motor vehicles, permit, fitness, driving license, conductor license, motor vehicle tax, additional tax user charges rupees twenty shall be charged for filing, creation and issue of electronic records for each transaction;	In addition to the tax and fees levied under the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made there under and Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 and the rules made there under for the Acts and the records relating to the registration, permit, fitness, driving license, conductor license, tax of motor vehicles, user charges **rupees fifty shall be charged** for filing, creation and issue of electronic records for each transaction;
Provided that if the record to be issued in Smart Card with chip, rupees one hundred user charges shall be charged for each transaction.	**Provided that if the record to be issued in 'Smart Card' form amount of user charge shall be rupees one hundred for each card.**

Amendment of Rule 7

4. In the Principal rules for the existing sub rule (1) of rule 7 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely-

column 1 **Existing rule**	**column 2** **rule as hereby substituted**
(1) Every District Level Committee shall submit to the State Level Committee before Fifteenth Day of December of every year, proposal for the next	(1) Every District Level Committee shall submit to the State Level Committee before Fifteenth Day of December of every year, proposal for the next financial year for the utilization of user charges for the maintenance and improvement of

Scanned by CamScanner

financial year for the utilization of user charges for the maintenance and improvement of electronic records in respect of following items.	electronic records in respect of following items.
(a) Purchase, Repair and maintenance of the computer, printer and accessory apparatus;	(a) Purchase, Repair and maintenance of the computer, printer and accessory apparatus;
(b) Purchase, Repair and maintenance of the generator and fuel for it;	(b) Purchase, **safety**, repair and maintenance of the generator and fuel for it;
(c) Purchase, repair and maintainance for the air conditioner for server room;	(c) Purchase and maintainance of air conditioner for **computer room and UPS room.**
(d) Other function relating with computerization purchase of items and repair;	(d) **Purchase and maintainance of scanners, photocopier, wiring of electrical equipment and integrated communication devices and other works related to computerisation.**
(e) Purchase of computer stationary, cartridges, printer ribbon and furniture;	(e) Purchase of computer stationary, cartridges, printer ribbon and furniture;
(f) Minute civil work such as partition etc including general maintenance and repairs for effective and smooth functioning of the office;	(f) Minute civil work such as partition etc including general maintenance and repairs for effective and smooth functioning of the office;
(g) Arrangement for consumable such as cartridge refilling, printer	(g) Arragement for consumable such as cartridge refilling, printer head, drum kit etc;

Scanned by CamScanner

head, drum kit etc;	
(h) Arrangement for priniting of different forms and records on special circumstances;	(h) Arrangement for priniting of different forms and records on special circumstances;
(i) Arrangement of display board and demonstration materials in the concerned office showing the user charges; and	(i) **Provision of display boards showing user charges, work flow etc. and demonstration material for promoting use of online services ;**
(j) Purchase, Repair and maintenance of Fire extinguishers for he security of computers, hardware and records;	(j) Purchase, Repair and maintenance of Fire extinguishers for he security of computers, hardware and records;
(k) Purchase, Repair and maintenance of computer, laptop, internet for offices, enforcement squad and transport check Posts;	(k) Purchase, Repair and maintenance of computer, laptop, internet for offices, enforcement squad and transport check Posts;
(l) Purchase, Repair and maintenance of UPS and Battery for uninterrupted supply of electricity;	(l) Purchase, Repair and maintenance of UPS and Battery for uninterrupted supply of electricity;
(m) Purchase, Repair and maintenance of system software, specific software, operational software, firewall, antivirus etc. for smooth operation of computers;	(m) Purchase, Repair and maintenance of system software, specific software, operational software, firewall, antivirus etc. for smooth operation of computers;
(n) Purchase, Repair and maintenance of biometric attendance system for record of attendance of	(n) Purchase, Repair and maintenance of biometric attendance system for record of attendance of employees in computerized manner;

Scanned by CamScanner

employees in computerized manner;	
(o) Purchase, Repair and maintenance of LCD/ Projector and peripherals for demonstration of Road Safety Rules to the applicants;	(o) Purchase, Repair and maintenance of LCD/Projector and peripherals for demonstration of Road Safety Rules to the applicants;
(p) Purchase, Repair and maintenance of CCTV for the security of offices and check posts;	(p) Purchase, Repair and maintenance of CCTV for the security of offices and check posts;
(q) Purchase, Repair and maintenance of Networking items to establish link between the computers;	(q) Purchase, Repair and maintenance of Networking items to establish link between the computers;
(r) To provide computer training to the employees of the department;	(r) To provide computer training to the employees of the department; and
(s) All other works related to information technology.	(s) All other works related to information technology.

By Order,

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary.

Scanned by CamScanner